2011:CGHC:11033-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 618/2005

अपीलार्थीगण श्रीमती मंगमती व अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण मोहम्मद इकराम खान व अन्य

आदेश

विचारार्थ निर्णय

सही/-
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री राजीव गुप्ता , मुख्य न्यायाधिपति

मैं सहमत हूँ

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति
न्यायाधीश

दिनाँक 21-6-2011 को सूचीबद्ध करें

सही/-
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 618/2005

अपीलार्थीगण

1. श्रीमती मांगमति पति स्व. धनेश्वर प्रसाद पटेल,
   आयु लगभग 39 वर्ष, व्यवसाय- गृहणी
2. कुमारी जयंती,पिता स्व. धनेश्वर प्रसाद पटेल,
   आयु लगभग 20 वर्ष, व्यवसाय- विद्यार्थी
3. कुमारी हेमलता, पिता स्व. धनेश्वर प्रसाद पटेल,
   आयु लगभग 18 वर्ष, व्यवसाय- विद्यार्थी
4. मनोज कुमार,पिता स्व. धनेश्वर प्रसाद पटेल,
   आयु लगभग 16 वर्ष, व्यवसाय- विद्यार्थी,अवयस्क

नैसर्गिक अभिभावक माँ श्रीमती मंगमती पटेल,पति स्व. धनेश्वर प्रसाद पटेल,
निवासी- गाँव धनगर, पोस्ट धनार तहसील व ज़िला रायगढ़(छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण

1. मोहम्मद इकराम खान, पिता श्री मोहम्मद, निवासी: इकबाल, गौशालापारा, रायगढ़ (छ.ग.)
2. सुंदर केवट, पिता रामभरोस केवट, व्यवसाय: वाहन चालक, निवासी: बाजीराव मबरापारा, रायगढ़ (छ.ग.)
3. द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय: इतवारी बाजार, रायगढ़, तहसील व जिला: रायगढ़ (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगलपीठः माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति
माननीय श्री एन.के. अग्रवाल , न्यायाधीश

उपस्थितः

अपीलार्थी की ओर सेः श्री रुप नायक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर सेः श्री मनीष उपाध्याय ,अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर सेः श्री सुधीर अग्रवाल ,अधिवक्ता

आदेश

(21-06-2011)

द्वाराः एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीश

1. यह दावाकर्ता की अपील है, जिसमें द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायगढ़ द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 36/2004 में दिनांक 24-3-2005 को अधिनिर्णय पारित की गई प्रतिकर की राशि में वृद्धि की मांग की गई है।

2. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अधीन दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 1-2-2004 को ट्रक जिसका पंजीयन क्रमांक CG-13/ZC-0356 है, द्वारा हुई दुर्घटना में धनेश्वर की मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में ₹26,86,960/- की मांग करते हुए प्रस्तुत किए गए आवेदन पर, विद्वान अधिकरण ने वाहन चालक, स्वामी और बीमाकर्ता के विरुद्ध आवेदन की तिथि से संदाय की तिथि तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल ₹4,02,100/- की राशि प्रदान की है।

3. प्रस्तुत साक्ष्यों की सूक्ष्म जाँच करने के पश्चात्, विद्वान अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक की मृत्यु उक्त दुर्घटना में प्रत्यर्थी क्रमांक 2 (अर्थात दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के चालक) द्वारा किए गए उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण चालन के कारण हुई थी, दुर्घटना के समय वाहन प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के पास बीमित था और चूंकि प्रत्यर्थी क्रमांक 3/ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन स्थापित नहीं कर सका, अतः वह दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक और स्वामी के साथ संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से दावाकर्तागण को प्रतिकर के संदाय हेतु उत्तरदायी है।

4. विद्वान अधिकरण ने मृतक का मासिक वेतन ₹8,120/- मानते हुए और उसमें से ₹850/- (₹790 भविष्य निधि + ₹150 सामूहिक बीमा योजना + ₹64 मकान किराया भत्ता) एवं परिवार पेंशन के मद में ₹2,650/- की कटौती करने के बाद, मासिक आश्रितता ₹2,195/- और वार्षिक आश्रितता ₹26,340/- आकलित की, तथा 15 का गुणक लागू करने के बाद प्रतिकर की राशि ₹3,95,100/- निर्धारित की, जिसमें साहचर्य की क्षति के लिए ₹5,000/- और अंत्येष्टि व्यय के लिए ₹2,000/- जोड़कर कुल ₹4,02,100/- का प्रतिकर प्रदान किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रूप नायक ने यह तर्क किया कि विद्वान अधिकरण ने मृतक के सकल वेतन ₹8,120/- प्रतिमाह को विचार में न रखते हुए प्रतिकर की राशि की गणना करने में घोर त्रुटि की है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर अग्रवाल और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष उपाध्याय ने अधिनिर्णय का समर्थन किया और तर्क किया कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान अधिकरण द्वारा प्रदान की गई राशि न्यायसंगत और उचित है।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अधिकरण के अभिलेखों का परिशीलन किया।

8. इस प्रकरण में निर्णय हेतु अंतर्वलित मूल प्रश्न यह है कि क्या विद्वान अधिकरण ने मृतक के वेतन से भविष्य निधि, सामूहिक बीमा योजना , मकान किराया भत्ता और पारिवारिक पेंशन की राशि को, मृतक की कुल आय की गणना के प्रयोजन से, काटने में त्रुटि की है, जिसके आधार पर दावाकर्तागण हेतु कमाने वाले की मृत्यु के लिए देय प्रतिकर की राशि निर्धारित की जानी आवश्यक है।

9. पी.आर. साहू (आ. साक्षी क्रमांक-3) के कथनानुसार, जनवरी, 2004 के महीने में मृतक का सकल वेतन ₹8,120/- था। अतः, विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के सकल वेतन का आकलन ₹8,120/- करना त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता। तथापि, प्रतिकर की गणना के प्रयोजन के लिए विद्वान अधिकरण ने मृतक की आय में से भविष्य निधि , सामूहिक बीमा योजना, मकान किराया भत्ता और पारिवारिक पेंशन की राशि को घटाकर त्रुटि की है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने हेलेन सी. रेबेलो (श्रीमती) व अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम व एक अन्य (1999) 1 एससीसी 90 में प्रकाशित प्रकरण की कण्डिका 35 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "35. मोटे तौर पर, हम भविष्य निधि की प्राप्ति की जाँच कर सकते हैं, जो कर्मचारी द्वारा उसकी सेवाकाल की अवधि के दौरान किए गए अंशदान से किया गया एक आस्थगित संदाय होता है। ऐसा कर्मचारी या उसके वारिस दुर्घटना में मृत्यु होने के बावजूद यह राशि प्राप्त करने के हकदार होते हैं। यह राशि सुरक्षित है, और इसका प्राप्त होना निश्चित है, जबकि मोटरयान अधिनियम के अधीन राशि अनिश्चित है और केवल दुर्घटना के रूप में घटना के घटित होने पर ही प्राप्त हो सकती है, जो शायद हो ही न। इसी प्रकार, पारिवारिक पेंशन भी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार, अपनी सेवा में किए गए अंशदान के रूप में, अपने परिवार के लाभ के लिए अर्जित की जाती है, जो उसकी मृत्यु के बाद वारिसों द्वारा प्राप्त की जाती है। वारिस आकस्मिक मृत्यु के अलावा भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं। इन दोनों के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। इसी प्रकार, जीवन बीमा पॉलिसी बीमित व्यक्ति या उसके वारिसों द्वारा बीमाकर्ता के साथ किए गए अनुबंध के कारण प्राप्त की जाती है, जिसके लिए बीमित व्यक्ति प्रीमियम के रूप में अंशदान करता है। यदि वह सभी प्रीमियमों का संदाय करने के बाद परिपक्वता तक जीवित रहता है, तो भी वह इसे प्राप्त करता है। मृत्यु की स्थिति में, बीमाकर्ता वारिसों को राशि का संदाय करने का हर्जाना भरता है, यह भी प्रीमियम के संदाय के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार होता है। पुन: यह राशि दावाकर्ता को किसी आकस्मिक मृत्यु के कारण नहीं, बल्कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अन्यथा प्राप्त होती है। मृत्यु केवल राशि प्राप्त करने के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार एक चरण या आकस्मिकता है। इसी तरह, कोई भी नकदी, बैंक बैलेंस, शेयर, सावधि जमा, आदि, यद्यपि ये सभी किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण वारिसों द्वारा प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ हैं, लेकिन इन सभी का, केवल आकस्मिक मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले किसी संविधि के अधीन प्राप्त होने वाली राशि के साथ कोई सहसंबंध नहीं है। ऐसी राशि को 'आर्थिक लाभ' माने जाने और कटौती के लिए उत्तरदायी होने हेतु मोटरयान अधिनियम के परिधि के भीतर कैसे लाया जा सकता है। जब हम हानि और लाभ के सिद्धांत की तलाश करते हैं, तो यह एक समान और समान धरातल पर होना चाहिए जिसमें उनके बीच आपस में संबंध हो, न कि उस चीज़ से जिसका कोई सहसंबंध ही न हो। बीमित व्यक्ति (मृतक) अपना स्वयं का धन अंशदान करता है जिसके लिए वह राशि प्राप्त करता है जिसका दुर्घटना के कारण उसकी उपेक्षा के लिए अपकृत्यकर्ता के विरुद्ध परिकलित प्रतिकर से कोई सहसंबंध नहीं है। जैसा कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऊपर कहा गया है, अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर की राशि किसी भी योगदान के बिना चोट या मृत्यु के कारण होती है, तो फिर बीमित व्यक्ति के अंशदानों के माध्यम से प्राप्त राशि के फल को मोटरयान अधिनियम के अधीन प्राप्त होने वाली राशि में से कैसे काटा जा सकता है। वह इस अधिनियम के अधीन राशि बिना किसी योगदान के प्राप्त करता है। जैसा कि हमने कहा है, मोटरयान अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर वैधानिक है जबकि जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त होने वाली राशि संविदात्मक है।"

11. उपर्युक्त दृष्टिकोण को माननीय उच्चतम न्यायालय ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य विरुद्ध पेट्रीशिया जीन महाजन व अन्य(2002) 6 एससीसी 281 में प्रकाशित प्रकरण में दोहराया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के कण्डिका 36 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"36. हम हेलेन रेबेलो (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिए गए अवलोकनों से पूर्णतः सहमत हैं कि मृत्यु के कारण होने वाली हानियों और लाभों के बीच संतुलन स्थापित करके प्रतिकर की राशि पर पहुँचना एक सामान्य नियम है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह है कि दावाकर्तागण द्वारा ऐसी प्राप्तियों का आकस्मिक मृत्यु के साथ कुछ सहसंबंध होना चाहिए, जिसके कारण ही दावाकर्तागण ने राशियाँ प्राप्त की हैं। हमारा मानना है कि हमें घातक दुर्घटना अधिनियम और मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के बीच किए गए अंतर के प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में संदर्भित निर्णयों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा के कारण प्राप्त हुई राशि में, प्रतिकर की राशि से कटौती किए जाने हेतु, आकस्मिक चोट या मृत्यु के साथ कोई सांसर्ग या संबंध होना चाहिए। प्राप्त राशि और आकस्मिक मृत्यु के बीच कुछ सहसंबंध होना चाहिए या यह एक ही क्षेत्र में होना चाहिए, अन्यथा प्राप्त राशि को प्रतिकर की राशि में से नहीं काटा जाएगा। इस प्रकार, मृतक की बीमा पॉलिसी के कारण प्राप्त राशि को प्रतिकर की राशि से नहीं काटा जा सकता, यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीमित व्यक्ति की असामयिक मृत्यु के कारण बीमा राशि की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। जहाँ तक अन्य मदों का संबंध है, जिनके लिए बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर आग्रह किया है, उदाहरणार्थ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अधीन बच्चों और श्रीमती पेट्रीशिया महाजन को दिए गए कुछ भत्ते, उन प्राप्तियों का आकस्मिक मृत्यु के साथ कोई सहसंबंध नहीं दर्शाया गया है और न ही स्थापित किया गया है। इस तथ्य के अलावा कि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अधीन संदाय करने के लिए कोष के गठन हेतु योगदान विभिन्न स्रोतों से आता है, कोष के घटकों में से एक कर है जो इस उद्देश्य के लिए आय से काटा जाता है। हम महसूस करते हैं कि उच्च न्यायालय ने बीमा पॉलिसी और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अधीन अन्य प्राप्तियों के कारण किसी भी कटौती को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया है, जिसे दावाकर्ता डॉ. महाजन की आकस्मिक मृत्यु के बावजूद अन्यथा भी प्राप्त करने के हकदार होते। यदि 'किसी भी स्रोत से प्राप्तियाँ' के सिद्धांत की इतनी व्यापक रूप से व्याख्या की जाती है कि इसमें वे सभी प्राप्तियाँ शामिल हो सकती हैं, जो पीड़ित की मात्र मृत्यु के कारण दावाकर्तागण के हाथों में आ सकती हैं, तो यह आकस्मिक मृत्यु के कारण उचित प्रतिकर प्रदान करने वाले अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। ऐसे लाभ, भले ही मृतक द्वारा की गई बचत या अन्य निवेश आदि के कारण हों, गलत कार्य करने वाले को लाभ नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पहुँचाएंगे और दावाकर्ता को बदतर स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, यदि उसने कभी कोई बीमा पॉलिसी नहीं ली होती या भविष्य के रिटर्न के लिए निवेश नहीं किया होता।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने रघुवीर सिंह मटोलिया व अन्य विरुद्ध हरि सिंह मालवीय व अन्य (2009) 15 एससीसी 363 में प्रकाशित प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकर की राशि की गणना करते समय महँगाई भत्ता के साथ-साथ मकान किराया भत्ता को भी विचार में रखा जाना चाहिए और अपने निर्णय के कण्डिका 6 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

"6. हमारे विचार में, महँगाई भत्ता आय का एक हिस्सा होना चाहिए। मकान किराया भत्ता केवल कर्मचारी के लिए नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए संदाय किया जाता है। एक भिन्न तथ्यात्मक स्थिति में भी, 'आय' के अंतर्गत क्या आएगा, इस पर इस न्यायालय के समक्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध इंदिरा श्रीवास्तव (2008(2) एससीसी 763) के प्रकरण में विचार किया गया था, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था: (एससीसी पृष्ठ 772, कण्डिका 19-21):"

"19. इसलिए, वे राशियाँ जो मृतक को उसके नियोक्ता द्वारा परिलब्धियों के रूप में संदाय की जानी आवश्यक थीं, उन्हें उसकी मासिक आय की गणना में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे उसके व्यक्तिगत लाभ के विपरीत परिवार के लिए अंशदान के रूप में उसकी मासिक आय में जुड़ जातीं। तथापि, हम शीघ्रता से यह जोड़ना चाहेंगे कि उक्त आय की राशि में से, उस पर वैधानिक रूप से देय कर की कटौती की जानी चाहिए।"

20. पी. रामनाथ अय्यर की एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन (तीसरा संस्करण) में 'आय' शब्द को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है:

(ii) किसी कंपनी से किसी निदेशक या कंपनी में पर्याप्त हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी लाभ या परिलब्धि का मूल्य, चाहे वह मुद्रा में परिवर्तनीय हो या नहीं, और उक्त कंपनी द्वारा किसी ऐसे दायित्व के संबंध में संदाय की गई कोई भी राशि, जो ऐसे संदाय के अभाव में उक्त निदेशक या अन्य व्यक्ति द्वारा देय होती, जो किसी व्यक्ति को राज्य के भीतर कृषि से भिन्न किसी पेशे, व्यापार या कारोबार से प्राप्त या उत्पन्न होती है।'

यह भी कहा गया है: "आय" का अर्थ है "जो आता है" (सेल्बोर्न, सी., जोन्स विरुद्ध ओगल (1861-73) ऑल ईआर रेपी 918 के अनुसार)। यह किसी व्यक्ति की प्राप्तियों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकने वाला "सबसे बड़ा शब्द" है (जेसेल, एम.आर., हगिन्स, एक्स पी., री [51 एलजे सीएच 935] के अनुसार)। आय केवल व्यापार से प्राप्तियों तक ही सीमित नहीं है और इसका अर्थ किसी के कार्य, भूमि, निवेश आदि से होने वाली आवधिक प्राप्तियाँ है। [सेक्रेटरी टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनकम टैक्स विरुद्ध अल. अर. आरएम. अरुणाचलम चेट्टियार एंड ब्रदर्स एआईआर 1921 मैड 427 रेफ़र। वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास [एआईआर 1930 मैड 626 (2)]।

21. यदि 'आय' शब्द के शाब्दिक अर्थ को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाता है, तो इसमें वे लाभ शामिल होने चाहिए, चाहे वे मुद्रा के रूप में हों या अन्यथा,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिन्हें आयकर या व्यवसाय कर के संदाय के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाता है, भले ही उसके कुछ तत्व कर योग्य हों या न हों अथवा संविधि के अधीन प्रदान की गई छूट के अभाव में अन्यथा कर योग्य होते। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध राम प्रसाद वर्मा ((2009) 2 एससीसी 712) के प्रकरण में इस न्यायालय का निर्णय भी इसी आशय का है।"

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध इंदिरा श्रीवास्तव व अन्य के प्रकरण में, (2008) 2 एससीसी 763 में प्रकाशित प्रकरण में अपने निर्णय के कण्डिका 19 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

"19. इसलिए, वे राशियाँ जो मृतक को उसके नियोक्ता द्वारा परिलब्धियों के रूप में संदाय की जानी आवश्यक थीं, उन्हें उसकी मासिक आय की गणना में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे उसके व्यक्तिगत लाभ के विपरीत परिवार के लिए अंशदान के रूप में उसकी मासिक आय में जुड़ जातीं। तथापि, हम शीघ्रता से यह जोड़ना चाहेंगे कि उक्त आय की राशि में से, उस पर वैधानिक रूप से देय कर की कटौती की जानी चाहिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त संदर्भित मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत को लागू करने पर, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि मृतक के सकल वेतन में से भविष्य निधि , सामूहिक बीमा योजना ,मकान किराया भत्ता और पारिवारिक पेंशन की राशि को मृतक की कुल आय की गणना के प्रयोजन से नहीं काटा जा सकता, जिसके आधार पर दावाकर्तागण हेतु कमाने वाले की मृत्यु के लिए देय प्रतिकर की राशि निर्धारित की जानी आवश्यक है, और इस प्रकार विद्वान अधिकरण ने दावाकर्तागण को देय प्रतिकर की राशि का आकलन करने में त्रुटि की है। इसलिए, हम मृतक के वेतन को ₹8,120/- अर्थात ₹97,440/- प्रति वर्ष मानकर प्रतिकर की राशि की पुनर्गणना प्रस्तावित करते हैं।

15. वर्ष 2003-04 में, ₹97,440/- के वेतन पर आयकर के रूप में लगभग ₹3,000/- देय था, जिसकी कटौती नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध इंदिरा श्रीवास्तव (पूर्वोक्त) के निर्णय के अनुसार मृतक के वेतन में से की जानी चाहिए। अतः, उक्त राशि में से वर्ष 2003-04 में देय आयकर के मद में ₹3,000/- की कटौती के पश्चात्, मृतक की वार्षिक आय ₹94,440/- आती है। मृतक के व्यक्तिगत व्ययों के लिए इसका 1/3 भाग काटने के बाद, वार्षिक आश्रितता की हानि ₹62,960/- होगी। अधिकरण द्वारा लागू किए गए 15 के गुणक को लागू करने पर, आश्रितता की हानि के मद में प्रतिकर ₹9,44,400/- होगा। इसमें अधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अन्य मदों के ₹7,000/- जोड़ने पर, प्रतिकर की कुल राशि ₹9,51,400/- हो जाती है, जिसके लिए दावाकर्ता हकदार हैं।

16. इसलिए, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आक्षेपित अधिनिर्णय को उपरोक्त दर्शित सीमा तक संशोधित किया जाता है। दावाकर्ता अधिकरण द्वारा प्रदान किए गए ₹4,02,100/- के बजाय ₹9,51,400/- के प्रतिकर का हकदार हैं। दूसरे शब्दों में, दावाकर्ता अधिकरण द्वारा प्रदान की गई राशि से अधिक ₹5,49,300/- (₹9,51,400 - ₹4,02,100) का हकदार हैं। वर्धित राशि पर आवेदन की तिथि से संदाय तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

17. बीमा कंपनी को आज से तीन माह का समय दिया जाता है कि वह दावाकर्तागण को प्रतिकर का संदाय करे।

18. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-	सही/-
(मुख्य न्यायाधिपति)	(एन.के. अग्रवाल)
न्यायाधीश	न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Vikeshveri